भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2338

(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर व्यय में असमानता

2338. एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक होने के बावजूद उसे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों की तुलना में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियां अनुपातहीन रूप से कम प्राप्त होती हैं;
(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्रीय असमानता के क्या विशिष्ट कारण हैं और सरकार द्वारा कारपोरेट क्षेत्र को "आकांक्षी जिलों" और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में सीएसआर निधियों का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में किए गए कुल सीएसआर व्यय का जिलावार/क्षेत्रवार (स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास) आंकड़ा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनपर निर्णय लेने, उनको क्रियान्वित करने और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष क्षेत्र/कार्यकलापों में व्यय करने के लिए कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अनिवार्य कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी डाटा www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा किए गए वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में राज्यवार सीएसआर व्यय और उत्तर प्रदेश में जिलावार और क्षेत्रवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-1, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में संलग्न हैं। सीएसआर व्यय से संबंधित प्रकटन वार्षिक विवरणी फाइल करते समय सीएसआर वार्षिक विवरणी में रिपोर्ट किए जाते हैं। कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 17.10.2025 के अनुसार, सभी कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित अपने वार्षिक विवरण फाइल करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक का समय दिया गया है। इसलिए, कंपनियों के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित अपने सीएसआर व्यय का विवरण 31 दिसंबर, 2025 तक जमा करने का समय है।

*****

अनुलग्नक- I

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के भाग (क) से (ग) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में राज्यवार सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.03
2.	आंध्र प्रदेश	1,129.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	39.57
4.	असम	488.62
5.	बिहार	260.53
6.	चंडीगढ़	113.31
7.	छत्तीसगढ	422.73
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	30.17
9.	दिल्ली	1,949.95
10.	गोवा	85.79
11.	गुजरात	2,707.54
12.	हरियाणा	816.95
13.	हिमाचल प्रदेश	148.59
14.	जम्मू और कश्मीर	98.54
15.	झारखंड	414.63
16.	कर्नाटक	2,254.88
17.	केरल	387.91
18.	लक्षद्वीप	0.36
19.	लेह और लद्दाख	30.41
20.	मध्य प्रदेश	600.47
21.	महाराष्ट्र	6,065.95
22.	मणिपुर	83.19
23.	मेघालय	30.94
24.	मिजोरम	4.48
25.	नगालैंड	15.41
26.	ओडिशा	1,389.39
27.	पुदुचेरी	32.68
28.	पंजाब	351.89
29.	राजस्थान	1,145.67
30.	सिक्किम	41.87
31.	तमिलनाडु	1,968.76
32.	तेलंगाना	1,054.92
33.	त्रिपुरा	9.45

34.	उत्तर प्रदेश	1,545.01
35.	उत्तराखंड	360.76
36.	पश्चिम बंगाल	862.57
37.	संपूर्ण भारत*	6,960.21
38.	अन्य केंद्रीकृत निधियाँ	1,000.83
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	1.06
कुल		34,908.75

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नाम नहीं बताए या एक से ज़्यादा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश बताए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थी।

****

अनुलग्नक- II

दिनांक 15.12.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के भाग (क) से (ग) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में राज्यवार सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	जिलों	वित्त वर्ष 2023-24
1.	आगरा	23.16
2.	अलीगढ़	10.12
3.	अंबेडकर नगर	5.68
4.	अमेठी	0.04
5.	अमरोहा	1.57
6.	औरैया	4.03
7.	अयोध्या	37.98
8.	आजमगढ़	3.40
9.	बागपत	10.37
10.	बहराइच	17.29
11.	बलिया	8.23
12.	बलरामपुर	3.89
13.	बाँदा	2.07
14.	बाराबंकी	5.90
15.	बरेली	12.35
16.	बस्ती	2.09
17.	भदोही	3.09
18.	बिजनौर	5.07
19.	बदायूँ	3.43
20.	बुलंदशहर	19.92
21.	चंदौली	4.55
22.	चित्रकूट	8.88
23.	देवरिया	2.05

24.	एटा	-
25.	इटावा	0.72
26.	फर्रुखाबाद	0.51
27.	फतेहपुर	6.72
28.	फिरोजाबाद	6.21
29.	गौतम बुद्‌ध नगर	217.07
30.	गाजियाबाद	73.91
31.	गाजीपुर	2.36
32.	गोंडा	15.00
33.	गोरखपुर	11.51
34.	हमीरपुर	36.72
35.	हापुड़	0.04
36.	हरदोई	58.71
37.	हाथरस	3.36
38.	जालौन	-
39.	जौनपुर	7.18
40.	झांसी	7.62
41.	कन्नौज	0.29
42.	कानपुर देहात	3.62
43.	कानपुर नगर	-
44.	कासगंज	-
45.	कौशाम्बी	4.14
46.	खेरी	2.52
47.	कुशीनगर	0.54
48.	ललित पुर	5.25
49.	लखनऊ	90.04
50.	महोबा	1.66
51.	महाराजगंज	1.83
52.	मैनपुरी	1.63
53.	मथुरा	130.43
54.	मऊ	0.67
55.	मेरठ	17.13
56.	मिर्जापुर	6.66
57.	मुरादाबाद	5.41
58.	मुजफ्फरनगर	21.17
59.	पीलीभीत	2.23
60.	प्रतापगढ़	5.27
61.	प्रयागराज	13.59
62.	रायबरेली	14.47
63.	रामपुर	2.59

64.	सहारनपुर	25.46
65.	संभल	-
66.	संत कबीर नगर	0.11
67.	शाहजहांपुर	12.23
68.	शामली	0.08
69.	श्रावस्ती	4.44
70.	सिद्धार्थनगर	6.97
71.	सीतापुर	8.16
72.	सोनभद्र	52.81
73.	सुल्तानपुर	14.72
74.	उन्नाव	3.47
75.	वाराणसी	221.95
76.	जिला अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है	220.66
	कुल	1,545.01

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

****

अनुलग्नक- III

दिनांक 15.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के भाग (क) से (ग) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम.सं.	सीएसआर विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	2.57
2.	पशु कल्याण	51.42
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरगनाएं/आश्रित	0.14
4.	कला और संस्कृति	20.59
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	10.78
6.	शिक्षा	492.36
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	140.67
8.	लैंगिक समानता	24.77
9.	स्वास्थ्य सेवा	322.76
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	44.17
11.	गरीबी, भूख मिटाना, कुपोषण	72.97
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	146.44
13.	सुरक्षित पेयजल	54.04
14.	स्वच्छता	31.06
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	8.56
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास बनाना	3.04
17.	अनाथालय की स्थापना	0.57
18.	झुग्गी क्षेत्र विकास	4.58
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएँ	3.45
20.	विशेष शिक्षा	13.84
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.08
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	9.29
23.	व्यावसायिक कौशल	52.26
24.	महिला सशक्तिकरण	31.71
25.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	2.90
	कुल	1,545.01

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने उन सेक्टर के नाम निर्दिष्ट नहीं किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थी।

****